बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियमावली, 2011

संख्या–244(8) रा0, दिनांक–15.03.2011 बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 (बिहार अधिनियम, 2010, 11) की धारा–15 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उक्त अधिनियम के अधीन निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

अध्याय–1

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार तथा प्रारम्भ** ।–(i) यह नियमावली बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।– इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरूद्ध न हो,

(क) "नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) नियमावली, 2011

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010

(ग) "धारा" से अभिप्रेत है बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा।

(घ) "कृषि भूमि" से अभिप्रेत है कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त भूमि।

(ड़) "सम्परिवर्तन" से अभिप्रेत है कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए भूमि–उपयोग में परिवर्तन।

(च) "सम्परिवर्तन फीस" में अभिप्रेत सम्बन्धित परिस्थितियों में लागू होने योग्य फीस शामिल है।

(छ) "गैर कृषि भूमि" से अभिप्रेत है कृषि–भूमि से भिन्न भूमि।

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(झ) "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला समाहर्त्ता, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्परिवर्तन के लिए आवेदित कृषि भूमि अवस्थित हो, तथा इसमें इस अधिनियम के अधीन जिला समाहर्त्ता की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करने हेतु सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है।

(ञ) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है अनुमंडल पदाधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में सम्बन्धित कृषि–भूमि या उसका भाग अवस्थित हो।

(ट) "विहित प्रक्रिया" से अभिप्रेत है इस नियमावली द्वारा अथवा सरकार द्वारा किये गए आदेश द्वारा विहित प्रक्रिया।

(ठ) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है बिहार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना तथा शब्द "अधिसूचित" तदनुसार समझा जायेगा।

(ड) "अधिभोगी" में सम्मिलित हैं :–

(i) कोई व्यक्ति, भूमि अथवा उसके ऊपर निर्मित संरचना के लिए तत्समय लगान या लगान के अंश का भुगतान कर रहा हो या भुगतान के लिए उत्तरदायी हो।

(ii) लगान–मुक्त अधिभोगी।

(ट) "स्वामी" में सम्मिलित है कोई व्यक्ति, जो तत्समय अपने लेखा में या किसी अन्य व्यक्ति के एजेन्ट, ट्रस्टी, अभिभावक, प्रबन्धक या प्राप्तकर्ता के रूप में, या किसी धार्मिक, शैक्षणिक या दातव्य प्रयोजन से, कृषि भूमि या वैसी भूमि पर निर्मित संरचना के लिए लगान या मुनाफा ले रहा हो, या लेने का हकदार हो तथा इसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं, जिन्हें राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा भूमि लीज पर दी गयी हैः–

(i) कोई लीजधारी, यदि सरकार द्वारा उसे भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ लीज पर दी गयी हो तथा उसे उससे आय प्राप्त हो रही हो;

(ii) कोई स्थानीय प्राधिकार, यदि भूमि स्थानीय प्राधिकार में निहित हो तथा उससे आय प्राप्त करने हेतु गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी गयी हो।

(ठ) "बाजार मूल्य" से अभिप्रेत है भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के अधीन समाहर्त्ता द्वारा यथा अवधारित कृषि भूमि का मूल्य।

3. **सम्परिवर्तन के लिए आवेदन** ।– गैर कृषि प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के सम्परिवर्तन हेतु आवेदन सक्षम प्राधिकार के समक्ष, अधिनियम की धारा–4 (1) में विनिर्दिष्ट सम्परिवर्तन फीस के साथ, **प्रपत्र–1** में दिया जा सकेगा।

4. **अन्तर राशि भुगतान हेतु सूचना** ।– यदि अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के तहत भुगतान किया गया सम्परिवर्तन फीस, विहित फीस से कम पाया गया है, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा आवेदक को, आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अन्तर राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र **संख्या–2** में एक सूचना निर्गत की जाएगी।

यदि आवेदक अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) में विनिर्दिष्ट अन्तर राशि को ऐसी सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर जमा नहीं करने की दशा में, सक्षम प्राधिकार आवेदक को एक द्वितीय सूचना निर्गत करेगा जिसमें उसे सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर अन्तर राशि जमा करने का निदेश देगा। यदि आवेदक निदेश का अनुपालन करने में विफल रहता है तब उसका आवेदन नामंजूर करने का दायी होगा।

5. **कतिपय मामलों में सम्परिवर्तन के लिए आवेदन** ।– यदि बिहार अधिनियम 21,1993 के प्रवृत्त होने के बाद तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व सम्परिवर्तन किया गया है, तो सम्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के

लिए अनिवार्य होगा कि सक्षम प्राधिकार के समक्ष **प्रपत्र–3** में इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि के 6 महीनों की अवधि के भीतर सम्परिवर्तन के तथ्य का उल्लेख करते हुए अधिनियम की धारा 4 (1) में उपबन्धित सम्परिवर्तन फीस तथा सम्बन्धित भूमि के अद्यतन बाजार मूल्य का 1 % अतिरिक्त फीस के साथ आवेदन करे, जिसमें विफल रहने पर सक्षम प्राधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कार्रवाई करेगा।

6. सक्षम प्राधिकार से वांछित अनुमति की अप्राप्ति की स्थिति में उसके समक्ष आवेदन ।– अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) में सन्दर्भ में आवेदन **प्रपत्र–4** में दिए जा सकेंगे ।

7. अनधिकृत सम्परिवर्तन के लिए शास्ति ।– अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के प्रसंग में सक्षम प्राधिकारी अनधिकृत सम्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कारण पृच्छा हेतु **प्रपत्र–5 (क)** में सूचना निर्गत करेगा।

सक्षम प्राधिकार, यदि उसका समाधान हो जाय कि गैर कृषि हेतु सम्परिवर्तन अनधिकृत है तथा अधिनियम की धारा–3 के अधीन सक्षम प्राधिकार की वांछित अनुमति के बिना किया गया है, उक्त अनधिकृत सम्परिवर्तन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरूद्ध सम्परिवर्तन फीस की 50 % शास्ति **प्रपत्र–5 (ख)** में अधिरोपित करेगा जो सम्परिवर्तन हेतु अधिनियम की धारा–4 (1) में विनिर्दिष्ट सम्परिवर्तन फीस के अतिरिक्त होगा।

8. सम्परिवर्तन फीस के भुगतान से उन्मुक्ति के लिए आवेदन ।– अधिनियम की धारा–7 की उप धारा (1) के सन्दर्भ में सम्परिवर्तन फीस के भुगतान से उन्मुक्ति के लिए आवेदन–पत्र **प्रपत्र 6** में दिया जायगा।

9. सक्षम प्राधिकार, यदि उसका समाधान हो जाय कि विनिर्दिष्ट सम्परिवर्तन फीस, शास्ति एवं अतिरिक्त फीस के साथ, यदि आवश्यक हो, जमा कर दिया गया है तथा अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है, आवेदित भूमि के संदर्भ में कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन की अनुमति **प्रपत्र–7 में** प्रदान करेगा।

10. अपील एवं पुनरीक्षण की प्रक्रिया ।– अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपील एवं पुनरीक्षण की सुनवाई तथा निष्पादन यथासंभव सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5, 1908) में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

प्रपत्र–1

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (2) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

....

महोदय,

मैं...पिता/पति का नाम..ग्राम................................टोला/मुहल्ला..........................थाना................................ अंचल ....अनुमंडल................................... जिला...................................का निवासी हूँ। मैं अपनी कृषि भूमि जिसका पूर्ण विवरण निम्नवत है का उपयोग कृषि एवं सहबद्ध क्रियाकलापों से भिन्न प्रयोजन के लिए करना चाहता हूँ। आवेदित भूमि एवं प्रस्तावित भूमि उपयोग बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–8 में वर्णित भूमि एवं भूमि उपयोग जिसके लिए सम्परिवर्तन की अनुमति अनपेक्षित है, से भिन्न है।

मैं आवेदित कृषि भूमि के सम्परिवर्तन के लिए इस अधिनियम की धारा–4 उप धारा (1) में सम्परिवर्तन हेतु विनिर्दिष्ट सम्परिवर्तन फीस जमा कर रहा हूँ। साथ ही मैं आवेदित भूमि के लिए इस अधिनियम की धारा 4 उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट दर से वार्षिक लगान/सेस अदा करने के लिए तैयार हूँ।

अतः अनुरोध है कि मेरी निम्न वर्णित कृषि भूमि को बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा 3 उपधारा (6) के अन्तर्गत गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन की अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित रकबा	चौहद्दी	खतियान में अंकित किस्म जमीन	वर्तमान लगान/सेस	प्रस्तावित प्रयोजन (जिस उपयोग में लाना चाहते हैं उसका पूर्ण विवरण)	अधिनियम की धारा–4 उप धारा (1) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन हेतु जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*

विश्वासभाजन,

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर
तिथि–
पता–

प्रपत्र–2

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना का प्रपत्र

सूचना

बनाम

नाम..पिता/पति का नाम..निवासी ग्राम................................टोला/मुहल्ला...........................थाना......................
अंचल ....अनुमंडल................................... जिला...................................

बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन हेतु इस अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2) के अन्तर्गत जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस इस अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार निर्धारित सम्परिवर्तन फीस से कम है।

अतः निर्देश दिया जाता है कि इस नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर आवेदित भूमि के सम्परिवर्तन हेतु इस अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित वास्तविक सम्परिवर्तन फीस तथा आपके द्वारा अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2) के अन्तर्गत जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस का अन्तर राशि जमा करना सुनिश्चित करें।

भूमि का विवरण :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन के लिए प्रस्तावित रकबा	अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस	आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 3 उप धारा (2) के अन्तर्गत जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस एवं जमा करने की तिथि	अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस तथा आवेदक द्वारा धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत जमा सम्परिवर्तन फीस की अन्तर राशि	अन्तर राशि जमा करने की तिथि/एवं विधि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

अनुमंडल पदाधिकारी

.......................अनुमंडल
दिनांक–

द्वितीय सूचना प्रपत्र

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (5) के अन्तर्गत द्वितीय सूचना प्रपत्र

द्वितीय सूचना

बनाम

नाम...पिता/पति का नाम...निवासी ग्राम.................................टोला/मुहल्ला...........................थाना....................... अंचल ....अनुमंडल.................................... जिला....................................

बजरिए नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक............................ को अधिनियम की धारा 3 उपधारा (2) के अन्तर्गत आपके द्वारा आवेदित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्परिवर्तन के लिए जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस इस अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस से कम पायी गयी है। आपको इस अधिनियम की धारा–4 उपधारा (1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस तथा जमा की गयी सम्परिवर्तन फीस के अन्तर राशि को 30 दिनों के अन्दर जमा करने हेतु सूचना दिनांक .... को निर्गत की गयी थी जो आपके द्वारा दिनांक.............................. को प्राप्त की गयी। इस अधिनियम की धारा 3 उप धारा (4) के अन्तर्गत आपके द्वारा सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अन्तर राशि जमा की जानी थी परन्तु आपके द्वारा उक्त अवधि में सूचना में विनिर्दिष्ट अन्तर राशि जमा नहीं की गयी।

अतः अधिनियम की धारा 3 उप धारा (5) के अन्तर्गत द्वितीय सूचना दी जा रही है कि आप निश्चित रूप से अन्तर राशि मोबलिक...............................रू0 इस द्वितीय सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर जमा करें अन्यथा आपका आवेदन रदद् कर दिया जाएगा।

अनुमंडल पदाधिकारी

..............................अनुमंडल

जिला ....

दिनांक–............................

प्रपत्र–3

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (6) के अन्तर्गत आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

......................................अनुमंडल

महोदय,

मैं..पिता/पति का नाम...ग्राम................................टोला/मुहल्ला..........................थाना......................अंचल ....अनुमंडल.................................. जिला.................................. का निवासी हूँ। मैंने अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि का बिहार अधिनियम 21, 1993 के प्रवृत्त होने के उपरांत तथा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के प्रवृत होने के पूर्व ही दिनांक................से ही गैर कृषि प्रयोजन से सम्परिवर्तन कर लिया है। मैं आज दिनांक–.................को बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा 4 (1) में उपबन्धित सम्परिवर्तन फीस मो0....................रू0 के अतिरिक्त आवेदित भूमि के बाजार मूल्य का 1 % अतिरिक्त सम्परिवर्तन फीस मो0 ....रू0 भी जमा कर रहा हूँ। साथ ही मैं अधिनियम की धारा–4 उपधारा (2) में विर्निदिष्ट दर से वार्षिक लगान/सेस अदा करने के लिए तैयार हूँ।

अतः अनुरोध है कि मेरी निम्नवर्णित कृषि भूमि के बिहार भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा (6) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन की अनुमति देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में सम्परिवर्तन किया जा रहा रकबा	खतियान में अंकित किस्म जमीन	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजन में सम्परिवर्तन की तिथि	अधिनियम की धारा 4 उप धारा (1) में जमा की जाने वाली सम्परिवर्तन फीस की राशि	अधिनियम की धारा 3 उपधारा (6) के अन्तर्गत जमा की जाने वाली अतिरिक्त सम्परिवर्तन फीस (भूमि के बाजार मूल्य का 1 %)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*

विश्वासभाजन,

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)
दिनांक–
पता–

निबंधित डाक द्वारा

प्रपत्र–4

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा–(7) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 उपधारा–(6) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन के लिए दिए गए आवेदन पर विहित समय में कार्रवाई नहीं होने से संबंधित आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

.....................................अनुमंडल

महोदय,

मैं...पिता/पति का नाम..ग्राम................................टोला/मुहल्ला..........................थाना......................अंचल ....अनुमंडल.................................. जिला.................................. का निवासी हूँ। मैंने अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन हेतु दिनांक–............................को इस अधिनियम की धारा–4 (1) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट सम्परिवर्तन फीस सहित विहित प्रपत्र–1 में आवेदन दिया हूँ / अथवा आपके द्वारा अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत यथा निर्धारित अन्तर फीस मो0............................... दिनांक............................ को जमा कर दिया हूँ (लागू नहीं होने की स्थिति में इसे काट दिया जाए) ।

परन्तु आपके द्वारा इस अधिनियम की धारा–3 उपधारा–(6) के अन्तर्गत विहित अवधि के अन्दर सम्परिवर्तन के संबंध में आदेश पारित नहीं किया गया है।

अतः अनुरोध है कि इस अधिनियम की धारा–3 उपधारा–(7) के अन्तर्गत विहित अवधि में मेरे आवेदित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन के संबंध में यथा उचित आदेश पारित करने की कृपा की जाए।

भूमि का विवरण :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (गैर कृषि प्रयोजन हेतु)	चौहद्दी	खतियान में अंकित किस्म जमीन	वर्तमान लगान
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

विश्वासभाजन,

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)
दिनांक–
पता–

प्रपत्र–5 (क)

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–6 उपधारा 1 के अन्तर्गत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजनों के लिए अनधिकृत सम्परिवर्तन हेतु कारण पृच्छा के लिए सूचना का प्रपत्र

सूचना

बनाम

नाम...पिता/पति का नाम...निवासी ....ग्राम.................................टोला/मुहल्ला...........................थाना...........
...........अंचल ....अनुमंडल.................................. जिला.................................. बजरिए नोटिस सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि को अनधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजन में सम्परिवर्तन कर लिए जाने की सूचना प्राप्त हुई है/का मामला संज्ञान में आया है। आपके द्वारा प्रश्नगत कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन के लिए इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्वानुमति नहीं ली गयी है।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि दिनांक................................को अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में पूर्वाहन/अपराहन.................. बजे स्वयं अथवा वकील के माध्यम से उपस्थित होकर कारण पृच्छा दें कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध इस अधिनियम की धारा 6 उप धारा (3) के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 4 (1) में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि की सम्परिवर्तन फीस के अतिरिक्त सम्परिवर्तन फीस का 50 % शास्ति अधिरोपित की जाय।

भूमि की विवरणी

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	खतियान में अंकित किस्म जमीन	अनाधिकृत रूप से कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त रकबा	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	इस अधिनियम की धारा–4(1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस	इस अधिनियम की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्रस्तावित सम्परिवर्तन फीस के 50 % की शास्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*

अनुमंडल पदाधिकारी
.........................अनुमंडल
जिला–
दिनांक–

<u>प्रपत्र–5 (ख)</u>

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–6 उपधारा 3 के अन्तर्गत अधिरोपित की गयी शास्ति की सूचना का प्रपत्र

सूचना
बनाम

नाम...पिता/पति का नाम..निवासी/ग्राम................................टोला/मुहल्ला..........................थाना......................अंचल . ...अनुमंडल................................... जिला...................................

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि को इस अधिनियम के प्रवृत होने के बाद अनाधिकृत रूप से गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तित कर लिया गया है। अतः इस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत आपके विरूद्ध अधिनियम की धारा–4 (1) के अन्तर्गत विर्निदिष्ट सम्परिवर्तन फीस मो0...........................रू0 के अतिरिक्त सम्परिवर्तन फीस का 50 % मो0..........................रू0 शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है।

आपको ताकीद किया जाता है कि आप सम्परिवर्तन फीस मो0..........................रू0 के अतिरिक्त सम्परिवर्तन फीस का 50 % मो0.................रू0 शास्ति निश्चित रूप से आदेश पारित होने के तीन माह के अन्दर दिनांक................................तक जमा कर दें अन्यथा बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त राशि वसूल की जाएगी। इसके अतिरिक्त आपके विरूद्ध अधिनियम की धारा 5 उप धारा (4) के अन्तर्गत कार्रवाई भी की जा सकती है।

भूमि की विवरणी :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में अनाधिकृत रूप से प्रयुक्त रकबा	चौहद्दी	किस्म जमीन	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	अधिनियम की धारा–4 (1) के अन्तर्गत देय सम्परिवर्तन फीस	अधिनियम की धारा 6 उप धारा 3 के अन्तर्गत सम्परिवर्तन फीस का 50 % शास्ति	कुल देय राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*

अनुमंडल पदाधिकारी
........................अनुमंडल
जिला.........................
दिनांक–

<u>प्रपत्र–6</u>

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा 7 उप धारा (1) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन फीस से छूट हेतु आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

...................................अनुमंडल

महोदय,

मैं...पिता/पति का नाम...ग्राम.................................टोला/मुहल्ला...........................थाना......................अंचल ....अनुमंडल.................................... जिला....................................का निवासी हूँ। मैं अपनी निम्नवर्णित कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन.................... से सम्परिवर्तन करना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किया जाने वाला सम्परिवर्तन उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या...........................दिनांक................... के अन्तर्गत उद्योग/उद्योग से जुड़ा मुद्दा/उद्योग नीति के अन्तर्गत आता है। इस अधिनियम की धारा–7 उप धारा (1) के अन्तर्गत इसे गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्तन हेतु सम्परिवर्तन फीस से छूट देने का प्रावधान है।

अतः अनुरोध है कि मेरी निम्न वर्णित भूमि के गैर कृषि प्रयोजन हेतु सम्परिवर्तन की अनुमति बिना किसी सम्परिवर्तन फीस के देने की कृपा की जाय।

भूमि का विवरण

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त रकबा	चौहदी	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	उक्त प्रयोजन से संबंधित उद्योग विभाग, बिहार, सरकार की अधिसूचना संख्या एवं दिनांक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*

आवेदक का नाम
(आवेदक का पूरा हस्ताक्षर)
पता ....

प्रपत्र –7

बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 के अन्तर्गत धारा 3 उप धारा (6) अथवा (7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत सम्परिवर्तन की अनुमति का प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए समपरिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा–3 उपधारा–(6)/ अथवा उपधारा–(7) (जो लागू हो) के अन्तर्गत निम्नवर्णित कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन से सम्परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि की विवरणी :–

जिला का नाम	अनुमंडल का नाम	अंचल का नाम	रैयत का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	राजस्व थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	गैर कृषि प्रयोजन में प्रयुक्त किया जाने वाला रकबा	चौहद्दी	गैर कृषि प्रयोजन का प्रकार	सम्परिर्वन के उपरांत देय वार्षिक लगान/सेस
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*

अनुमंडल पदाधिकारी
........................अनुमंडल
जिला–
दिनांक–